

चुनावी लोकतन्त्र एवं मतदान व्यवहार: भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार के कारकों का विश्लेषण

अरविन्द कुमार यादव

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग, डॉ० भीमराव अम्बेडकर

महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

E-mail: <akjnu000@yahoo.com>

सारांश

भारत देश की भौगोलिक संरचना एवं वातावरण दुनिया के अन्य लोकतान्त्रिक देशों से भिन्न है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों, परम्पराओं, भाषाओं, जातियों, धर्मों एवं रीतिरिवाजों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। इनकी मांग, पहचान एवं समस्याएँ एक दूसरे समुदाय से भिन्न हैं। यह देखा गया है कि भारतीय मतदाता हमेशा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव वैज्ञानिक समझ के आधार पर न करके विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों के आधार पर करते हैं जो कि लोकतन्त्र के लिए घातक है। मतदान व्यवहार का चुनाव परिणामों तथा देश की शासन वृत्ति पर असर पड़ता है। स्वस्थ लोकतन्त्र के लिए आवश्यक है कि नागरिक अपने मत का प्रयोग सामाजिक रूढ़िवादिता को त्याग कर करें। इस शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय चुनावी लोकतन्त्र में मतदाताओं के मतदान व्यवहार से सम्बन्धित विभिन्न परम्परागत एवं समकालीन कारकों का विवेचन करना है। विविधता एवं विषमता से युक्त समाज में चुनावी परिणामों की जटिलताओं को समझने के लिए मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को उजागर करने एवं इससे सम्बन्धित आयामों की समझ आवश्यक है।

प्रमुख शब्द

[मतदान व्यवहार, चुनावी लोकतन्त्र, परम्परागत कारक, समकालीन कारक।]

Centre For Studies of National Development, Meerut

Editorial Office : D-59, Shastri Nagar, Meerut - 250 004 (INDIA)

Ph. : 0121-2763765, +91-9997771669, +91-9412200765

11

चुनावी लोकतन्त्र एवं मतदान व्यवहार: भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार के कारकों का विश्लेषण

1. भूमिका

भारतीय चुनावी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में, निष्पक्ष नियमित चुनाव तथा इसमें मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी मतदान व्यवहार में परिलक्षित होती है। लोकतन्त्र में चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जनता, सरकार, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, मीडिया एवं बुद्धिजीवी एक-दूसरे के सीधे सम्पर्क में आते हैं। चुनाव राजनीतिक समाजीकरण एवं राजनीतिक भागीदारी को निर्धारित करने वाली एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो कि राजनीतिक सहभागिता एवं सामाजिक परिवर्तन को प्रशस्त करने में सकारात्मक भूमिका अदा करता है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अनेक प्रकार की विविधताएँ पाई जाती हैं, अतः भारतीय चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी तथा उनके मतदान व्यवहार का सूक्ष्मता एवं जटिलता से अध्ययन करना आवश्यक है। भारतीय लोकतन्त्र में चुनाव विश्व के अन्य लोकतान्त्रिक राष्ट्रों की तुलना में अतुलनीय एवं विशिष्ट चुनावी दृश्य प्रस्तुत करता है। अब तक देश में कुल सत्रह बार लोकसभा चुनाव तथा अलग-अलग राज्यों में समयानुसार विधानसभाओं के लिए कई सफल चुनाव आयोजित हो चुके हैं। भारतीय संविधान सभी भारतीय वयस्क नागरिकों को 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' के आधार पर, 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म आदि की चिन्ता किए बिना मत देने का अधिकार देता है, जो कि भारतीय लोकतन्त्र की मुख्य विशेषता है। भारत में, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के नागरिक विशेषकर चुनावों के दौरान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं से सम्बन्धित मुद्दे पर वाद-विवाद करके जनमत का निर्माण करते हैं। हालाँकि भारतीय मतदाताओं के मध्य लोकतान्त्रिक मान्यताओं में विश्वास, राष्ट्रीय एवं वैश्विक राजनीतिक मुद्दों में गहरी अभिरुचि पहले की तुलना में तेजी से बढ़ रही है जिससे वे विभिन्न सामयिक मुद्दों पर स्वतन्त्र रूप से साहसिक विचार व्यक्त करते हैं।

भारतीय नागरिकों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जो उनके जटिल सामाजिक व्यवस्था एवं राजनीतिक वातावरण की प्रकृति का संकेत हैं। भारतीय मतदाताओं की चुनावी प्राथमिकता विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारकों, ऐतिहासिक विरासतों, सांस्कृतिक सम्बन्धों, क्षेत्रीय आकांक्षाओं एवं राजनीतिक विचारों के योग से प्रभावित होती है। भारत में मतदाताओं की देखी जाने वाली चुनावी प्राथमिकताओं की विविध शृंखला ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, साक्षरता दर, आय में असमानता एवं बुनियादी उपयोगिताओं तक पहुँच के बीच अन्तर से प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त, मतदान व्यवहार को आकार देने में राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों की भूमिका को कम करके नहीं आँका जा सकता। चुनाव अभियान, घोषणापत्र, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि एवं राजनीतिक दलों की विचारधाराएँ मतदाताओं के रुझान को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही, इसमें गठबन्धन की राजनीति के उद्भव एवं क्षेत्रीय दलों के उदय ने चुनावी प्रक्रिया में नए आयाम जोड़े हैं, जिसके परिणामस्वरूप मतदाताओं को पारम्परिक राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से परे बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हुए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में तकनीकी (प्रौद्योगिकी) के क्षेत्र में उन्नति एवं सोशल मीडिया के प्रचार एवं प्रसार ने राजनीतिक संचार में क्रान्ति ला दी है, जिससे राजनीतिक दल, उनके नेता एवं कार्यकर्ता अधिक व्यक्तिगत स्तर पर मतदाताओं के साथ जुड़ने में

सक्षम हो गए हैं। मतदाताओं की उदासीनता, चुनावी कदाचार, धन शक्ति, पहचान की राजनीति एवं ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे भारतीय लोकतन्त्र के सुचारू कामकाज में निरन्तर व्यावधान पैदा करते हैं। चुनावों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नैतिक आचरण बढ़ाने के लिए सुधारों की आवश्यकता बनी हुई है। ऐसा लगता है कि देश में सत्रह लोकसभा चुनावों एवं राज्यों में विधानसभा चुनावों के बावजूद, शहरी एवं ग्रामीण मतदाता अभी भी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं। भारतीय मतदाता लम्बे समय से एक ही विचारधारा को साझा करने वाले राजनीतिक दलों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं और अपने बहुमूल्य वोट देकर वे उस विशेष राजनीतिक दल को लम्बे समय तक सत्ता में रखते हैं। इन कारणों से केन्द्र एवं राज्यों में सत्तारूढ़ दल जनता की माँग के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं।

2. मतदान व्यवहार की सैद्धान्तिक समझ

मतदान व्यवहार का अर्थ चुनाव के सम्बन्ध में मानवीय क्रियाकलापों एवं गतिविधियों से है। अतः चुनाव सम्बन्धी मानवीय व्यवहार को मतदान व्यवहार कहा जाता है। मतदान व्यवहार मत प्रयोग के पैटर्न या प्रभावित करने वाले विशिष्ट कारकों को परिभाषित करता है। मतदान व्यवहार के विश्लेषण से हम मतदाताओं के निर्णय लेने में प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवयव को उल्लेखित करते हैं। मतदान व्यवहार का विश्लेषण यहीं तक नहीं है, बल्कि हम इसमें चुनाव से सम्बन्धित आँकड़ों, रिकॉर्ड आदि का भी विश्लेषण करते हैं। मतदान व्यवहार को परिभाषित करते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री गॉर्डन मार्शल कहते हैं कि 'मतदान व्यवहार यह समझने के इर्द-गिर्द घूमता है कि व्यक्ति विशिष्ट तरीकों से मतदान क्यों करते हैं तथा वे कारक जो उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।' ¹ राजनीतिक वैज्ञानिक स्टीफन वास्वी के शब्दों में, 'मतदान व्यवहार का अध्ययन व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक संरचना एवं राजनीतिक कार्यों से इसके सम्बन्ध का विश्लेषण करता है, जिसमें संचार प्रक्रिया जैसे संस्थागत पैटर्न एवं चुनावों पर इसका प्रभाव सम्मिलित है।' ² ब्रैटन ने मतदान व्यवहार को मतदान अभियानों में भागीदारी एवं उम्मीदवारों का चयन जैसे जुड़े हुए राजनीतिक तथा व्यक्तिगत कार्यों के संग्रह के रूप में वर्णित किया है। इस प्रकार, इसमें दोनों मतदान व्यवहार, जिसमें यदि कोई चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है तो किसका समर्थन करना है तथा व्यक्तियों के कार्य एवं निष्क्रियताएँ सम्मिलित हैं। परिणामस्वरूप, मतदान व्यवहार के अध्ययन के माध्यम से उन परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया जाता है जिनमें मतदाता दलों एवं उम्मीदवारों को चुनते हैं। इस प्रकार का सर्वेक्षण राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले लाखों मतदाताओं के विचारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ³ मतदान व्यवहार से पता चला है कि मतदान का निर्णय शून्यता के बजाय किसी व्यक्ति के जीवन के अनुभवों से प्रभावित होता है। मतदाता निम्नलिखित कारकों में से किसी एक या अधिक पर वोट देने के अपने फैसले को आधार बना सकते हैं—(1) सत्ता में सरकार की प्रभावशीलता, (2) उम्मीदवारों का व्यक्तित्व, (3) विशेष मुद्दों पर मतदाताओं की स्थिति या रुझान, (4) पक्षपात या पार्टी सम्बद्धता, (5) अर्थव्यवस्था की स्थिति तथा (6) उम्मीदवार की पहचान या जातीय पृष्ठभूमि आदि। ⁴

3. भारत में चुनावी लोकतन्त्र की शुरुआत एवं मतदान व्यवहार

ब्रिटिश सरकार ने ही भारत में अनेक प्रकार के अधिनियमों को लागू करके संवैधानिक शासन की सूत्रपात की थी। स्वतन्त्रता से पूर्व, ब्रिटिश भारत में चुनावी संस्थाएँ अस्तित्व में थीं। लेकिन ये चुनावी संस्थाएँ बड़े पैमाने पर विशिष्ट वर्गों का सहयोग करने तथा ब्रिटिश सरकार को मजबूत करने का साधन थीं। लम्बे संघर्ष के बाद, भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। भारत के लोगों ने देश पर शासन करने के लिए लिखित संविधान बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने 'संविधान सभा' नामक एक समूह का गठन किया जो स्वतन्त्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगा। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ। भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतन्त्र का 'ब्रिटिश मॉडल' अपनाया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के प्रारम्भ में ही कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। ⁵ संसद एवं राज्य विधानमण्डलों में वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा निर्वाचित विधानपालिकाएँ

स्थापित की गई। इस सम्बन्ध में संविधान विशेषज्ञ श्री सुभाष कश्यप ने लिखा कि 'घोर पिछड़ापन, घोर दरिद्रता तथा घोर निरक्षरता वाले, नए-नए स्वाधीन हुए देश में, हर नागरिक को, जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो (अब घटाकर 18 कर दी गई है) तथा जो किसी विधि के अधीन अनिवास चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा अयोग्य न हो, वोट अधिकार देना संविधान निर्माताओं के लिए एक बड़ी आस्था एवं जनसाधारण में विश्वास का काम था।'⁶ संविधान निर्माता यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि देश में हर किसी को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या आस्था कुछ भी हो, सरकार चलाने के तरीके में अपनी बात कहने का अधिकार हो। इसलिए उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई जहाँ विभिन्न समूह अपनी राजनीतिक पार्टियाँ बना सकें तथा अपने विचार साझा कर सकें।

अतः सांस्कृतिक विविधता एवं सामाजिक बहुलवाद को ध्यान में रखते हुए देश में 'बहुदलीय प्रणाली' की शुरुआत की ताकि समाज में व्याप्त अनेक विभिन्नताएँ होने के बावजूद इनको समायोजित किया जा सके। देश में पहली बार भारतीय संविधान के भाग पन्द्रह में वर्णित अनुच्छेद 324 से 329 के अन्तर्गत 1949 में स्वतन्त्र 'निर्वाचन आयोग' की स्थापना की गई। संविधान के अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य एवं उद्देश्य देश में प्रतिनिधिक संस्थानों; जैसे की लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद, ग्राम पंचायत एवं शहर में निगम परिषद, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने के लिए अधीक्षण, निदेशन एवं नियन्त्रण करेगा।⁷ मार्च 1950 में चुनाव आयोग के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदाता सूची को तैयार करना बहुत जटिल कार्य था। स्वतन्त्र भारत में सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर मतदाता सूची निर्माण कार्य नवम्बर 1947 में प्रारम्भ हुआ। धीरे-धीरे भारत की नव गठित सरकार ने सभी वयस्क नागरिकों को मतदाता सूची में पंजीकृत करना शुरू कर दिया। सन् 1951 की जनगणना के अनुसार 361,088,090 की जनसंख्या में से (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) कुल 173,212,343 मतदाता सूची में पंजीकृत थे। भारत का पहला आम चुनाव (1951-52) में सम्पन्न हुआ जो विश्व का सबसे बड़ा आम चुनाव बन गया। उस समय मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे। वर्तमान में हमारे देश में लगभग एक सौ चालीस करोड़ जनसंख्या है जिस में से अठारहवें लोकसभा चुनाव में लगभग 96.88 करोड़ मतदाता वोट देने के लिए पंजीकृत हैं।⁸

26 जनवरी 1950 को भारत के सभी नागरिकों को निष्पक्ष न्याय प्रदान करने के लिए भारत में एक स्वतन्त्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक महीने बाद, भारतीय संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया, जिसने यह निर्धारित किया कि संघीय एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव कैसे आयोजित किए जाने चाहिए।⁹ स्वतन्त्र भारत में पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 एवं 21 फरवरी 1952 के बीच सम्पन्न हुआ था। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी दलों की तुलना में पहला लोकसभा चुनाव भारी अन्तर से जीता तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री एवं डॉ० राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। दोनों नेताओं ने लिखित संविधान के माध्यम से भारत में संवैधानिक लोकतन्त्र की शुरुआत की। अतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने उदारवादी लोकतन्त्र की स्थापना करके भारतीय जनता को आत्मनिर्भरता का अधिकार दिया ताकि नागरिक स्वयं के लिए लोकतान्त्रिक आदर्शों पर आधारित सम्प्रभु राज्य की स्थापना कर सकें। इन लक्ष्यों को हासिल करने में भारतीय नागरिक कहाँ तक सफल हुए हैं, यह एक अनुसन्धान का विषय है। इन उद्देश्यों की पूर्ति इस बात पर निर्भर करती है कि भारतीय जनमानस की लोकतन्त्र से सम्बन्धित क्रिया कलापों में सहभागिता किस स्तर तक है। दूसरे शब्दों में कहे तो इसका अर्थ है कि भारतीय जनता चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के अतिरिक्त, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया व अन्य राजनीतिक कार्यों में कितनी रूचि लेती है।

4. भारत में मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले परम्परागत कारक

भारतीय मतदाता आम चुनावों में कैसे मतदान करते हैं तथा मतदान करते समय वे किन कारकों पर विशेष ध्यान देते हैं, इसे समझना कठिन एवं चुनौतीपूर्ण है। मतदान व्यवहार से तात्पर्य उन व्यवहारों, निर्णयों

एवं पैटर्न से है जो मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते समय प्रदर्शित करते हैं। मतदान व्यवहार न केवल मतदान आँकड़े के अध्ययन या चुनावी उतार-चढ़ाव को समझने तक सीमित है, बल्कि इसमें प्राथमिकताएँ, पसन्द संकेतक भी सम्मिलित हैं जो मतदाताओं के चुनाव में मतदान करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। मतदान व्यवहार में मतदाताओं की व्यक्तिगत विचार, हित, भावना, प्रेरणा, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक लगाव-जुड़ाव, शिक्षा के स्तर, विचारधाराएँ, उम्मीदवारों की धारणाएँ, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए गए मनलुभावन वायदे, ऐतिहासिक सन्दर्भ इत्यादि विचारों की एक विस्तृत सूची चुनावी विकल्पों एवं पैटर्न को स्वरूप प्रदान करते हैं। इस प्रभाग में हम मतदान व्यवहार के परम्परागत कारकों का विश्लेषण करेंगे।

4.1 जातिगत आधार

भारत के नागरिक भारतीय राष्ट्र एवं समाज के सदस्य हैं तथा जन्म से रक्तसम्बन्ध, विशिष्ट वैवाहिक सम्बन्धों एवं जाति नामक समान सांस्कृतिक प्रथाओं पर आधारित एक विशिष्ट लेकिन विशिष्ट सामाजिक समूह के सदस्य हैं, जिसे जाति कहा जाता है। इस सम्बन्ध में अरेंड लिज्फार्ट लिखते हैं—हालाँकि 'भारत में संख्या की दृष्टि से हिन्दू बहुमत की संख्या 83% के आस-पास है, पर भाषा, जाति एवं सम्प्रदाय के आधार पर हिन्दू इतने भागों में बँटे हैं कि वे एक राजनीतिक बहुमत का निर्माण नहीं कर पाते।'¹⁰ वास्तव में 'भारत में संख्यात्मक रूप से बहुमत रखने वाले हिन्दू आन्तरिक रूप में इतने भागों में बँटे हैं कि देश अल्पसंख्यकों से बना प्रतीत होता है।'¹¹ भारतीय मतदाताओं का विभिन्न जातियों एवं उप-जातियों में बँटे होने का चुनावों में विशेष महत्व है।¹² भारत में मतदान व्यवहार के निर्धारण में जाति एक महत्वपूर्ण कारक है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि भारतीय मतदाता, खासकर अगर वह उत्तर भारत से सम्बन्ध रखता हो, तो मतदाता किसी खास दल या उम्मीदवार को मत न देकर चुनावों में अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देता है। भारतीय राजनीति में जाति वह धुरी है, जिसके आसपास चुनावी समीकरण बनाये जाते हैं तथा उनका क्रियान्वयन विभिन्न चुनावों में किया जाता है। हमारे देश में, किसी खास निर्वाचन क्षेत्र के जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर ही उम्मीदवार उतारे जाते हैं। अधिकांश समय निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या रखने वाली जाति का व्यक्ति निर्वाचित होता है। भारतीय चुनावों में विभिन्न जाति समूहों की भूमिका का अवलोकन करें तो पाएँगे की आजादी के प्रारम्भिक वर्षों में सम्पन्न लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं के चुनावों में प्रभावशाली जातियों का दबदबा रहा, क्योंकि जाति आधार पर बहुसंख्यक अन्य पिछड़े वर्गों (मुख्यतः शूद्रों की जातियाँ), दलितों एवं आदिवासियों में राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हो पाया था। शुरुआती वर्षों में सभी जाति समुदायों के मतदाताओं ने लगातार अपने बहुमूल्य वोटों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देश पर शासन करने का अधिकार दिया क्योंकि देश के स्वतन्त्रता संग्राम का नेतृत्व इसी पार्टी ने किया था, परन्तु धीरे-धीरे गैर-अगड़ी जातियों में भी राजनीतिक चेतना जगी तथा उन्होंने अपने को संगठित किया। भारत में 70 के दशक के अन्तिम वर्षों से अन्य पिछड़े वर्गों ने राजनीतिक रूप से संगठित होना शुरू किया। हालाँकि, दक्षिण भारत में पेरियार ई0वी0 रामास्वामी के द्वारा चलाये गए 'आत्म-सम्मान' आन्दोलन एवं 'द्रविड़ कड़गम' आन्दोलनों के प्रभाव स्वरूप यह कार्य स्वतन्त्रता के प्रारम्भिक वर्षों में ही सम्पन्न हो चुका था।¹³ उत्तर भारत में 1980 का दशक समाज की पिछड़ी जातियों एवं दलित समुदाय के राजनीतिक उत्थान का दशक रहा है। 1990 के दशक आते-आते संख्या के आधार पर बहुसंख्यक पर राजनीतिक रूप से हमेशा हाशिये पर रहीं पिछड़े एवं दलित समुदाय के प्रतिनिधियों ने न केवल कई राज्यों की सत्ता पर कब्जा कर लिया, बल्कि केन्द्र की राजनीति में भी उनकी भूमिका एवं प्रभाव अप्रत्याशित रूप से बढ़े। बिहार में श्री लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव एवं मायावती जी ने अगड़ी जाति के नेताओं को सत्ता से बेदखल करके सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की। 1996 के लोक सभा चुनाव के पश्चात श्री एच0 डी0 देवगौड़ा भारत के पहले गैर-अगड़ी-जाति के प्रधानमंत्री बने।

1990 के दशक में जातीय राजनीति में जो बदलाव लाया उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़े। सकारात्मक प्रभाव के रूप से समाज के वंचित तबकों को उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी मिली तथा इससे

सामाजिक न्याय को बल मिला। यह बदलाव केवल प्रतिनिधिक स्तर पर नहीं हुआ बल्कि जमीनी स्तर पर अन्य पिछड़े वर्गों एवं दलितों की हैसियत में बढ़ोतरी हुई। नकारात्मक प्रभाव के स्तर पर जाति आधारित अनेक राजनीतिक दलों के प्रादुर्भाव से भारतीय राजनीति का क्षेत्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीय दलों, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी, के लगातार पतन के कारण कई दलों की मिली-जुली सरकारें आई जो ज्यादा दिनों तक टिक न सकीं। फलतः देश में विकास की प्रक्रिया प्रभावित हुई। वहीं यह भी देखा गया कि पिछड़ी जाति के अन्तर्गत ज्यादा वर्चस्व वाली जिन जातियों ने राजनीतिक सत्ता प्राप्त किया, उन्होंने इसका लाभ संख्या की दृष्टि से कमजोर जातियों तक नहीं पहुँचने दिया। फलतः उन जातियों ने अलग विकल्प तलाशना शुरू किया। इसका सीधा प्रभाव यह हुआ कि लम्बे संघर्षों से प्राप्त राजनीतिक बढ़त कायम नहीं रह पाई तथा अगड़ी जातियों की राजनीतिक वापसी का रास्ता फिर खुल गया।

भारतीय राजनीति में 1990 के दशक जातीय संघर्षों का दशक माना जाता है। जातियाँ भारतीय राजनीति में तथ्य के रूप में कार्य करती हैं। भारत की सभी जातियाँ आपस में संघर्ष करती रही हैं। परन्तु 1990 के दशक आते-आते उनका सम्पूर्ण राजनीतिकरण हो चुका था। फिर भी, भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने 1990 के दशक से जातीय आधार पर जाति या भाषा समूहों को सफलतापूर्वक संगठित करके चुनावी सफलता प्राप्त की है।¹⁴ भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दल स्पष्ट राजनीतिक माँगों (अपील) करके या विशेष रूप से उस विशेष समूह को लाभ पहुँचाने के लिए डिजाइन की गई सुरक्षा की पेशकश करके हमेशा किसी अन्य जातीय समूह के विपरीत या उसके विरोध में एक जातीय समूह की विशिष्ट पहचान जुटाती हैं। परन्तु 2014 एवं 2019 के आम चुनावों में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जाति से ऊपर उठकर समर्थन दिया, यह स्पष्ट करता है कि न केवल जातीय राजनीति की अपनी सीमाएँ हैं बल्कि अन्य राजनीतिक कारकों का भी राजनीति में विशेष महत्व है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से भारत की बहुदलीय प्रणाली के भीतर अपनी शक्ति मजबूत कर रही है। हालाँकि, यह परिवर्तन अभी भी प्रगति पर है।¹⁵ पिछले दो लोकसभा चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए 'अच्छे दिन आने वाले हैं', 'सबका साथ सबका विकास', 'राष्ट्र प्रथम' जैसे नारों का इस्तेमाल किया था। अपने चुनावी भाषणों में, मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, भाई-भतीजावाद एवं वंशवाद आदि विषय रखे। परिणामस्वरूप, पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में मतदाताओं ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया तथा एक दशक से सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी एवं उसके सहयोगी दलों को सत्ता से बाहर करने में सफल रहे।

4.2 धार्मिक कारक

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में लगभग सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। भारतीय समाज की धार्मिक संरचना पर नजर डालें तो 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत लगभग 79.8 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दू, 14.2 प्रतिशत मुस्लिम, 2.3 प्रतिशत ईसाई, 1.7 प्रतिशत सिख, 0.7 प्रतिशत बौद्ध है तथा 0.4 प्रतिशत जैन धर्म के अनुयायी हैं।¹⁶ इनके अतिरिक्त, यहाँ कई अन्य छोटे-छोटे धर्मों एवं सम्प्रदायों के अनुयायी भी रहते हैं। हमारा संविधान सभी नागरिकों को धर्म की स्वतन्त्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इस संविधानिक मौलिक अधिकार का मुख्य लक्ष्य यह है कि देश में सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समान व्यवहार हो तथा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो, को सुनिश्चित करना है। साथ ही, इस विचार को नकारना है कि देश में किसी विशेष धर्म को राज्य की मान्यता दी जानी चाहिए। इन प्रयासों के बावजूद, धर्म देश की राजनीति में सामान्य रूप से राजनीतिक व्यवहार एवं विशेष रूप से मतदान व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। हमारे देश में विशेष धर्म समर्थित राजनीतिक दल भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, ऑल इण्डिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय अल्पसंख्यक मोर्चा, अखिल भारतीय मुस्लिम मंच, ऑल इण्डिया मुस्लिम मजलिस (डॉ० फरीदी) अखिल भारतीय जम्हूर मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, असम वैली

पार्टी, अकाली दल, शिव सेना, भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य विशिष्ट राजनीतिक दल एवं धार्मिक संगठन जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि का अस्तित्व में है। राजनीतिक दल चुनाव के दौरान उम्मीदवारों का चयन उनके धर्म एवं निर्वाचन क्षेत्र में उस धर्म की आबादी को ध्यान में रखकर करते हैं, ताकि उम्मीदवारों के चुनाव जीतने की सम्भावना बनी रहे। मत के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय, नेता अपने साथी मतदाताओं के साथ धार्मिक कार्ड या अन्य धार्मिक समूहों के सदस्यों के साथ धर्मनिरपेक्ष कार्ड खेलने से परहेज नहीं करते हैं। इस तरह राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं का ध्रुवीकरण करते हैं। भारत में चुनावी प्रक्रिया में धर्म के महत्व के बारे में बात करें तो हम पाएँगे कि आजादी के बाद से साम्प्रदायिक शक्तियों से सुरक्षा देश के अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों की एक बड़ी चिन्ता रही है। आजादी के बाद से ही राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों ने लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों में धर्म को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य अन्य धार्मिक समूहों को समाज में खतरे के रूप में पेश करके अपने ही धर्म के लोगों का समर्थन हासिल करना है।

यही कारण था कि 1980 के दशक तक मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। लेकिन शाहबानो प्रकरण, बाबरी मस्जिद के दरवाजे का खुलना एवं 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद की इमारत का विध्वंस ऐसी घटनाएँ हैं जिनके कारण मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से अलग हो गया। इन्हीं कारणों से मुस्लिम समुदाय के मतदाता कांग्रेस से निराश हो गए। उन्हें लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी अब उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकती है। कुछ उत्तर भारतीय राज्यों में, क्षेत्रीय दलों ने मुस्लिम-यादव समीकरण का उपयोग करना शुरू कर दिया, जैसे कि बिहार में लालू प्रसाद यादव एवं उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव। ये दोनों नेता अब मुस्लिम मतदाताओं के नये तारणहार बन गए। मुस्लिम-यादव समीकरण के आधार पर दोनों नेताओं ने लम्बे समय तक अपने राज्यों पर शासन किया, लेकिन इन दोनों नेताओं का समीकरण बहुत अधिक प्रभावी नहीं रहा तथा वे लम्बे समय तक सत्ता से बाहर हैं। बिहार में कुछ मुस्लिम एवं यादव समुदाय के मतदाता श्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड एवं कुछ भारतीय जनता पार्टी को मत देने लगे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम एवं यादव समुदाय के मतदाता समाजवादी पार्टी से विमुख हो कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। चुनावों में एकीकृत धार्मिक समूह के रूप में हिन्दू बहुसंख्यकों की भागीदारी एक नई घटना है। इसका मुख्य कारण हिन्दू समाज में जाति एवं भाषा के आधार पर विभाजन है। हालाँकि, 1990 के दशक में राम मन्दिर आन्दोलन एवं बाबरी मस्जिद का विध्वंस जैसी घटनाओं ने भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत किया तथा इस परिवर्तन से उसे चुनाव में अधिक लाभ हुआ। 1996 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मत देने का फैसला किया तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया। अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी या जनता दल को अपना समर्थन दिया। हालाँकि, भारत के बहुसंख्यक हिन्दू सौभाग्य से सख्त धार्मिक अर्थों में मतदान नहीं कर रहे हैं।¹⁷ 2002 में गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगों ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया। 2014 के लोक सभा चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार धार्मिक आधार पर बहुसंख्यक हिन्दुओं का समर्थन मिला वह अपने आप में एक अप्रत्याशित राजनीतिक घटना है। बहुसंख्यक हिन्दू मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी एवं उसके सहयोगियों को 2014 के लोकसभा चुनावों की तुलना में, 2019 के लोकसभा चुनावों में अधिक जनादेश दिया, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व राजनीतिक घटना है। जैसा कि हम जानते हैं कि राम मन्दिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रमुख राजनीतिक संकल्प था जो 2019 में पूरा हो गया है। इसका निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार किया गया है। राम मन्दिर का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से कानूनी तौर पर पूरा हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मन्दिर के निर्माण का निर्णय 9 नवम्बर, 2019 के दिन दिया तथा केन्द्र सरकार को मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया।¹⁸ सर्वोच्च

न्यायालय के निर्णय के बाद से देश के बहुसंख्यक हिन्दू अब राम मन्दिर के प्रति ऊर्जा एवं उत्साह से भरे हुए हैं, लेकिन विपक्षी दलों ने अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण को नजरअन्दाज कर दिया है।

4.3 भाषायी विविधता

भारत एक बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक देश है। हमारे देश में हिन्दी 44 प्रतिशत भारतीयों की मातृभाषा है। बाकी अन्य 120 भाषाएँ बोलते हैं।¹⁹ इसलिए भारतीयता में विश्वास बनाये रखने के लिए भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ सम्मिलित की गयी हैं। फिर भी, प्रारम्भ से ही देश में हिन्दी चरमपंथी हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते हैं जिसमें वे आज तक सफल नहीं हो पाए हैं। हमारे देश में कई क्षेत्रीय भाषाएँ बोली जाती हैं तथा प्रत्येक भाषा की अपनी स्वतन्त्र लिपि है। परन्तु इनमें एक भी भाषा ऐसी नहीं है, जिसे अधिसंख्यक जनसंख्या की भाषा कहा जा सके।²⁰ नागरिकों को अपनी भाषा से भावनात्मक लगाव होता है तथा चुनाव के दौरान राजनीतिक दल इस लगाव का दुरुपयोग करते हैं। चुनाव के दौरान, राजनीतिक दल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए भाषा सम्बन्धी विभिन्न मुद्दे जनता के सामने उठाते हैं। अतः बहुभाषी आबादी भारत में ही नहीं बल्कि किसी भी देश में लोकतान्त्रिक संस्थाओं के लिए एक वास्तविक चुनौती प्रस्तुत करता है। इस सम्बन्ध में राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान जॉन स्टुअर्ट मिल का तर्क है कि 'विभिन्न राष्ट्रीयताओं वाले देश में स्वतन्त्र संस्थान स्थापित करना मुश्किल है। साझा पहचान की भावना के बिना, खासकर जब लोग अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं, तो प्रतिनिधि सरकार के लिए आवश्यक एकजुट जनमत हासिल नहीं किया जा सकता है।'²¹ लेकिन विद्वान एरलैंड केजेलेन मिल के तर्क का खण्डन करते हुए यह तर्क देते हैं कि उन्नीसवीं सदी में, जॉन स्टुअर्ट मिल ने बहुभाषी देशों में लोकतन्त्र की व्यवहार्यता के बारे में सन्देह व्यक्त किया, एक ऐसा दृष्टिकोण जो आज चरम पर दिखाई दे सकता है। कई लोग अब मानते हैं कि बहुभाषी आबादी वाले देश में अभी भी एक कार्यशील प्रतिनिधि सरकार हो सकती है। हालाँकि, भाषाई रूप से विविध राष्ट्रों में शासन के बारे में मिल के विचार निराशावाद को जन्म देने वाली वैध चिन्ताएँ प्रासंगिक बनी हुई हैं।²² हालाँकि, भारत जैसे बहुभाषी देश में, एक प्रतिनिधि सरकार हर चुनाव में जनादेश हासिल करती है तथा यदि एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो कई राजनीतिक दल मिलकर चुनाव लड़ती हैं तथा बहुमत हासिल करके सरकार बनाते हैं। यह राजनीतिक अनुभव अथवा प्रयोग हमारे देश में लम्बे समय से मौजूद है। भारतीय समाज में कई भाषाओं की मौजूदगी राजनीतिक संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अतः मिल का यह तर्क भारत के लिए भी तार्किक है। जब भारत के विभिन्न राज्यों में समय-समय पर भाषा सम्बन्धी मुद्दे उठते हैं, तो इसका प्रभाव भारत के नागरिकों पर अवश्य पड़ता है।

भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाओं के आधार पर ही हुआ है। हिन्दी भारत की राष्ट्र भाषा है। हिन्दी को सरकारी कार्यालयों में अधिकारिक भाषा रूप में लागू 1950 में कर दिया तथा 26 जनवरी 1965 को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग बन्द हो गया। इस परिवर्तन से भारत के गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में बहुत चिन्ता पैदा की, विशेषकर द्रविड़ भाषी राज्यों में जिनकी भाषाएँ हिन्दी से सम्बन्धित नहीं थीं। इसके बाद संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया, जिससे यह निर्धारित हो गया की 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहेगा।²³ हालाँकि, दक्षिण भारत में गैर-हिन्दी भाषी राज्य हिन्दी भाषा के साथ प्रतिस्पर्धा जारी रखते हैं। दरअसल, ये राज्य अपनी भाषा से ज्यादा भावनात्मक लगाव रखते हैं तथा हिन्दी भाषा को खारिज करते हैं। इस प्रकार, भाषा के मुद्दे भी चुनावों में मतदान व्यवहार को बदलते हैं।

4.4 चमत्कारी व्यक्तित्व

चुनावी लोकतन्त्र में राजनीतिक दल के नेताओं का करिश्मा, व्यक्तित्व, नेतृत्व शैली, कर्मठता, कड़ी मेहनत, ईमानदार छवि, लोकप्रियता एवं अन्य गुण बहुत महत्वपूर्ण हैं। मतदाता अपना बहुमूल्य वोट डालते समय इन कारकों को ध्यान में अवश्य रखते हैं। वैसे भी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में जनता अपने नेता का चुनाव स्वयं करती है, ऐसे में नेता की लोकप्रियता विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में चमत्कारी

(करिश्माई) व्यक्तित्व वाले नेताओं के कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी नेतृत्व शैली के कारण चुनाव जीता तथा अपनी पार्टी के अन्य नेताओं को निर्वाचित होने में सहायता की। आजादी से पहले महात्मा गांधी भारत के चमत्कारी नेता थे। कुछ विशेष वर्गों को छोड़ दें तो हम पाएँगे कि समाज की लगभग हर जाति एवं धर्म के मानने वाले लोग उनके साथ स्वतन्त्रता संग्राम में खड़े थे।²⁴ इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज भी गांधी की पार्टी कही जाती है तथा इस आधार पर उसे वोट भी मिलते हैं।

स्वतन्त्रता के पश्चात्, भारत में कांग्रेस का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने सम्भाला। प्रारम्भिक वर्षों में, नेहरू का चमत्कारी नेतृत्व भारतीय राजनीति पर हावी था तथा भारत के मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी के बजाय नेहरू के पक्ष में अपना बहुमूल्य डालते थे। असल में, जनता जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में एक कुशल प्रशासक के गुण देखती थी जो जाति, धर्म, सम्प्रदाय, क्षेत्रियता तथा यहाँ तक की दलीय पूर्वाग्रहों से मुक्त था। लोकतन्त्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं समावेशी विकास उनके शासन के मूल-मन्त्र रहे। नेहरू के पश्चात्, भारत में श्रीमती इन्दिरा गांधी की लहर चली। इन्दिरा गांधी एक चमत्कारी, राजनीतिक चतुराई, मजबूत इच्छा, दूरदर्शी एवं प्रभावशाली नेता थीं। इन्दिरा गांधी ने एक मजबूत राजनीतिक आधार बनाकर तथा अपनी नीतियों एवं पहलों के लिए समर्थन जुटाकर इन गुणों का इस्तेमाल करके मतदाताओं को प्रभावित किया। इन्दिरा गांधी 1966 से 1977 तक सत्ता में रहीं।²⁵ यह इन्दिरा गांधी की लहर ही थी जिसने इन्दिरा गांधी एवं उनकी कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में बार-बार लाती रहीं। 1971 में उनके द्वारा 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया गया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ तथा चुनावों में जनता ने उन्हें आपार सफलता दी। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में पूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी की व्यक्तिगत, राजनीतिक एवं कूटनीतिक भूमिका देश के इतिहास से अविभाज्य है।²⁶ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उनके नेतृत्व की भूरी-भूरी प्रशंसा समर्थक एवं विरोधी भी करते हैं। परन्तु, 1975 में जब उन्होंने देश में आपातकाल लगाया तब उनका तानाशाही व्यक्तित्व जनता के सामने आया। परिणामतः भारतीय मतदाताओं ने उनके तानाशाही व्यक्तित्व को देखते हुए 1977 के लोकसभा के चुनाव में उनको सत्ता से बेदखल कर दिया। बाद में, अपने चमत्कार के कारण, इन्दिरा गांधी ने 1980 के आम चुनावों में भारी जीत हासिल की तथा 1984 में अपनी हत्या तक प्रधानमन्त्री बनी रहीं।

इतिहास में कुछ व्यक्ति उच्चतम मानवीय गुणों के चमकदार उदाहरण के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल जी एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ थे जिनका राजनीतिक जीवन बेदाग था। इनके सम्बन्ध में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा, अटल जी राजनीति के आकाश में एक ऐसे सितारे की तरह थे, जो बाकी सभी सितारों से ज्यादा चमकता था। उनमें सभी को एक-साथ लाने की अद्भुत क्षमता थी। अगर आप विपक्ष से भी पूछें तो वे उनके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं।²⁷ चाहे वह 1998 का परमाणु परीक्षण हो या 1999 का कारगिल युद्ध या फिर अनेक दलों को मिलाकर सरकार चलाने की उनकी अनोखी कला, अटल बिहारी वाजपेई का भारतीय राजनीति में विशेष महत्त्व है।

भारत के वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमन्त्री के रूप में एक प्रभावी प्रशासक के रूप में राष्ट्रीय पहचान भी मिली है। श्री मोदी स्व-निर्मित व्यक्ति होने के साथ-साथ बेहद मेहनती राजनेता हैं। ये गुजरात राज्य के पिछड़े समाज से आते हैं। इनको राजनीति विरासत में नहीं मिली है। इन्होंने राजनीति में अपने आपको मेहनत एवं परिश्रम के बल पर स्वयं को स्थापित किया है। इनका व्यक्तित्व, संगठनात्मक प्रतिभा एवं नेतृत्व क्षमता अभूतपूर्व है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जाति, क्षेत्र, जातीय मतभेदों से ऊपर उठकर उनके नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मतदाताओं द्वारा किया गया जिससे पहली बार इस दल ने कुल 31% मत हासिल किया तथा लोक सभा में 282 सीटें जीतीं, जबकि राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबंधन ने कुल 336 सीटें जीतीं। उसके पश्चात् भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक राज्यों में चुनावी सफलताएँ दर्ज करने में सफल रही है, इसका श्रेय श्री मोदी को दिया जाना चाहिए। 2019 के लोक सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 302 सीट एवं 37.4 प्रतिशत वोट मिले। कुल मिलाकर राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबंधन को करीब 45 प्रतिशत वोट मिले। 1980 में अपनी (पुनः) स्थापना के बाद से यह देश भर में लोकसभा चुनावों में

भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक वोट शेयर मिला। इस प्रकार, 2019 के लोक सभा चुनाव में भारी जीत का श्रेय श्री मोदी को दिया जाता है।

पिछले दशक से विभिन्न राजनीतिक व्यक्तियों ने अपनी राजनीतिक छवि को निखारने के लिए ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, होर्डिंग, समाचार पत्र, टेलीविजन विज्ञापन, वेबसाइटों एवं अपनी पार्टी जैसी 21वीं सदी की तकनीकों का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त, प्रभावशाली राजनीतिक दलों के पास सरकारी संसाधनों द्वारा समर्थित एक विशाल प्रचार तन्त्र है। साथ ही, वे अपने काम को व्यापक एवं प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसे चुनाव प्रचार के दौरान, श्री मोदी ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए 'न खाऊंगा और न खाने दूंगा', 'यह मोदी की गारण्टी है', 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' जैसे वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं। अतः भारत में चमत्कारी व्यक्तित्व वाले नेता अपनी भाषण कला, लोकलुभावन वायदे एवं विभिन्न प्रकार की आकर्षक नारों से मतदाताओं को प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं।

4.5 क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएँ

किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय तब होता है जब देश की राष्ट्रीय पार्टियाँ अपनी क्षेत्रीय जनता की माँगों एवं इच्छाओं को ध्यान में नहीं रखती हैं, लेकिन साथ ही वे तब मजबूत हो जाती हैं जब वे क्षेत्रीय भावनाओं को दबाने की कोशिश करती हैं। भारतीय राजनीति में मतदाताओं ने अपने राज्यों में पसन्दीदा क्षेत्रीय दलों को वोट दिया तथा वे चुनाव जीत गए। हालाँकि, 2014 एवं 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कम हो गया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय दलों का गढ़ माने जाने वाले राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं महाराष्ट्र में एक के बाद एक क्षेत्रीय पार्टियों से चुनाव जीते तथा उन राज्यों में अपनी सरकार बनाई। भारत में व्याप्त सांस्कृतिक, जातीय एवं धार्मिक विविधता को देखते हुए, यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी की भविष्य में भारतीय राजनीति से क्षेत्रीय राजनीतिक दल गायब हो जायेंगे या नहीं? भारत में प्रचलित विविधता को देखते हुए, यह बताना जल्दबाजी होगी।

क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएँ सबसे पहले दक्षिण भारत में व्यक्त की गईं। राजनीतिक मोर्चे पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली बार 1957 के चुनाव में दक्षिण भारतीय राज्य केरल में कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। श्री ई0 एम0 एस0 नम्बूदरीपाद के नेतृत्व में बनी यह सरकार भारत में लोकतान्त्रिक ढंग से स्थापित पहली कम्युनिस्ट सरकार थी। 1967 के चुनाव परिणामों के अनुसार केरल में बनी यह सरकार निश्चित रूप से एक कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित सरकार थी। 1967 के लोकसभा चुनावों में, कांग्रेस, हालाँकि इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में केन्द्र में सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही, लेकिन संसद में अपना बहुमत खो दिया। 8 राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस ने बहुमत गँवाया।²⁸

उत्तर भारतीय राजनीति का क्षेत्रीयकरण 1980 के दशक के अन्त में शुरू हुआ तथा 1990 के दशक की शुरुआत में स्पष्ट हो गया। जनता पार्टी के पतन एवं उसके आधार पर विभिन्न राज्यों में इससे अलग हुए धड़ों की सरकारों के गठन से उत्तर भारत में क्षेत्रीय राजनीति की शुरुआत हुई। 1990 के दशक एवं 21वीं सदी के पहले दशक में बिहार में पहले राष्ट्रीय जनता दल (लालू यादव) एवं बाद में जनता दल यूनाइटेड (नितीश कुमार), उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (मुलायम सिंह यादव) एवं बहुजन समाज पार्टी (मायावती), ओडिशा में बीजू जनता दल की सरकार, हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल लोकदल तथा असम में असम गण परिषद् की सरकारें बनीं। पंजाब में पहले से ही अकालियों की क्षेत्रीय राजनीति को बल मिला हुआ था। 2011 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी। 2009 के लोकसभा चुनावों से पहले, भारत के अधिकतर राज्य क्षेत्रीय दलों द्वारा शासित थे, लेकिन 2009 के लोकसभा परिणामों के बाद, राजनीतिक वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कहा कि भारत का वर्तमान जनादेश वास्तव में राज्यों के जनादेश का योग मात्र है।²⁹

5. मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले समकालीन कारक

हालाँकि पूर्वोक्त सूचीबद्ध पारम्परिक कारक अभी भी भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आजकल देश में उपराष्ट्रवाद का उभार, सोशल मीडिया एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से बहुसंख्यक तबकों को लुभाने, उनकी भावनाओं को उजागर करना आदि ने मतदाताओं विशेषकर युवाओं को प्रभावित किया है। वे प्रतिदिन सोशल मीडिया, समाचार पत्र तथा टेलीविजन के विभिन्न चैनलों पर चल रहे भ्रामक एवं तथ्यहीन खबरों को देख कर, बिना सोचे समझे निर्णय लेते देखे जा रहे हैं, जो स्वस्थ लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। इस प्रकार के निर्णय से भारतीय लोकतन्त्र की जड़ें महत्वहीन हो जाएंगी।

5.1 सोशल मीडिया एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी

इक्कीसवीं सदी में, मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आज का सोशल मीडिया अधिक जीवन्त, अधिक गतिशील एवं युवाओं पर अधिक केन्द्रित है ताकि लोग सीमाओं के पार प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकें। भारत में अब 238 मिलियन से अधिक इण्टरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इण्टरनेट आधार बनाता है।³⁰ आजकल मतदान व्यवहार पर पारम्परिक एवं सोशल मीडिया दोनों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आम जनमानस के बीच राजनीतिक ज्ञान फैलाने के लिए सोशल मीडिया महत्वपूर्ण साधन है। भारत में लगभग प्रत्येक मतदाताओं के घर में टेलीविजन, रेडियो एवं उनके हाथ में मोबाइल आदि आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। भारत के विशेषकर नौजवान मतदाता हमेशा इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, एवं यूट्यूब आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से जुड़े रहते हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर समाचार चैनल विवादास्पद चर्चाओं एवं भ्रामक तथ्य से भरे हुए हैं जो मतदाताओं के बीच मजबूत भावनाओं को भड़काते हैं। भारतीय नेता अपने हितों के अनुरूप विचारधारा की व्याख्या करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं जिसकी पुष्टि मुश्किल है ऐसी स्थिति में यह लोकतन्त्र के लिए घातक है। सत्तारूढ़ दल एवं उसके नेताओं को सोशल मीडिया पर और भी अधिक अतिरंजित प्रशंसा मिलती है। साथ ही, विपक्षी दलों के बारे में नकारात्मक विचार भी प्रदर्शित होते हैं, ऐसी खबरें एवं तथ्य मतदाताओं के बीच जनमत नहीं बना पाते। आज, अधिक से अधिक युवा निर्णय लेने के लिए मीडिया प्लेटफार्मों पर भरोसा करते हैं। अतः सोशल मीडिया के वित्तीय प्रबन्धन के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा फैलाई गई गलत सूचना अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की सोच को प्रभावित कर सकती है। इस उथल-पुथल के बीच नेता एवं राजनीतिक दल सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भ्रामक सामग्री को बढ़ावा देने या छिपाने के लिए कई तरह के हथकण्डे अपनाते हैं तथा यहाँ तक कि भोले-भाले मतदाताओं को भी गुमराह करते हैं।³¹ प्रत्येक दिन, अनुभवी पत्रकार एवं छोटे यूट्यूबर्स सोशल मीडिया पर समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जिससे भारतीय मतदाताओं का नेताओं एवं राजनीतिक दलों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। आजकल शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, सभी राजनीतिक दलों ने पारम्परिक चुनाव अभियानों के बजाय सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक अभियान शुरू किया है। पारम्परिक विज्ञापन के विपरीत, राजनीतिक दल अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर विज्ञापन देना शुरू कर रहे हैं। इसलिए तथ्यहीन आँकड़े पर आधारित सूचना को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

5.2 राष्ट्रवाद एवं उपराष्ट्रवाद

राष्ट्रवाद ने लम्बे समय से मानव इतिहास एवं राजनीति को प्रभावित किया है। इसे किसी के देश या राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं निष्ठा की गहरी भावना के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसे अक्सर एक समान संस्कृति, धर्म, भाषा, एवं इतिहास द्वारा दर्शाया जाता है। राष्ट्रवाद एवं स्वायत्तता, सम्प्रभुता एवं आत्मनिर्णय की आकांक्षा आमतौर पर आपस में जुड़ी हुई है। समकालीन भारत में, राष्ट्रवाद एवं उपराष्ट्रवाद मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। स्वतन्त्रता के उपरान्त देश में राष्ट्रवाद की

लहर थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रवाद की लहर के चलते मतदाताओं ने चुनाव में आपार समर्थन दिया तथा वे लम्बे समय तक देश में शासन करते रहे। इस प्रकार, अनेक जाति एवं धर्मों वाले भारतीय समाज में कांग्रेस का अस्तित्व एक बड़ी उपलब्धि थी।³² लगभग पचास वर्षों तक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में प्रमुख राजनीतिक दल थी और उसने धर्मनिरपेक्षता को एक मूल सिद्धान्त के रूप में बरकरार रखा। कांग्रेस पार्टी से मुकाबला करने के लिए देश में कोई राजनीतिक दल (भारतीय जनता पार्टी सहित) पर्याप्त शक्ति हासिल करने में सक्षम नहीं थी।³³ पिछले कुछ वर्षों से, भारत में राष्ट्रवाद एवं विशेषकर हिन्दू राष्ट्रवाद का उभार न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि प्रभावी भी है।³⁴ यद्यपि भारत का संविधान हिन्दू राष्ट्रवाद के लिए प्रतिबद्ध नहीं है।³⁵ भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है। 1993 के दंगों के उपरान्त पहली बार, भारतीय जनता पार्टी ने 1996 के लोकसभा चुनाव में बहुमत सीटें हासिल की। हिन्दू राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अग्रसर होते हुए भाजपा ने कश्मीर को पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र के रूप में पुनः कब्जे में लेने एवं गौ हत्या को गैरकानूनी घोषित करने की माँग की।³⁶ 2014 के बाद से ही देश में हिन्दू राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं आकांक्षा बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मन में हिन्दू राष्ट्र के प्रति भावना जगाने में सफल रही है। यह देखा गया है कि अक्सर चुनाव के समय हिन्दू धर्म से सम्बन्धित मुद्दे को जानबूझ कर उठाया जाता है ताकि चुनाव के दौरान हिन्दू मतदाता उनको समर्थन दें। उदाहरण के लिए, देश में हिन्दू राष्ट्रवादी नेता एवं उनके समर्थक चुनावों के दौरान तथाकथित अपमानजनक स्थितियाँ पैदा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। 1967 में गौहत्या विरोधी आन्दोलन एवं 1989 में अयोध्या में राम मन्दिर (पुनर्निर्माण) आन्दोलन, दोनों घटनाएँ आम चुनाव से कुछ महीने पहले उठी थीं।³⁷ हमारे देश में उपराष्ट्रवादी भी चुनावी राजनीति में प्रभाव रखते हैं। उपराष्ट्रवादी आन्दोलन सामूहिक प्रयासों की सामान्य श्रेणी से सम्बन्धित हैं जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर देने का काम करते हैं और जिनके क्षेत्रीय स्थान उन मातृभूमि से मेल खाते हैं जिनके समर्थक दृढ़ता से महसूस करते हैं कि वे वैध रूप से उनसे सम्बन्धित हैं।³⁸

उप-राष्ट्रवादी आन्दोलन राष्ट्र-राज्यों एवं केन्द्रीय सत्ता को चुनौती देते हैं, अक्सर साझा भाषा, धर्म, जातीयता, क्षेत्रीयता से समर्थन प्राप्त करते हैं। तुलनात्मक राजनीति अक्सर इन आन्दोलनों को पहचान और भौतिक हितों के मिश्रण के रूप में चित्रित करती है। इस तरह के आन्दोलन तब जोर पकड़ते हैं जब अग्रणी आरम्भकर्ता कल्पित समुदाय से सहानुभूति रखने वालों को आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं जो सांस्कृतिक पकड़ से मेल खाता है।³⁹ अतः भारत में उपराष्ट्रवाद भी नागरिकों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। हमारे देश में कुछ जातीय एवं अलगाववादी समूह भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दलों जैसे झारखा पार्टी, नागा नेशनलिस्ट ऑर्गनाइजेशन एवं गोरखा लीग ने इस रणनीति का प्रयोग कर मतदान व्यवहार को प्रभावित करते रहे हैं।

5.3 चुनावी लोकतन्त्र में धनबल एवं मुफ्त उपहार

चुनावी लोकतन्त्र में, धन बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। भारत में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल चुनावों के दौरान मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए धनबल का प्रयोग निरन्तर करते रहे हैं। अर्थशास्त्रियों के एक अनुमान के अनुसार, 2009 के लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों एवं पार्टियों ने चुनाव अभियान खर्च पर लगभग 3 बिलियन डॉलर खर्च किए।⁴⁰ वहीं 2019 लोकसभा चुनाव को अब तक का सबसे महँगा चुनाव जिसमें लगभग 55-60,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान लगाया गया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोक सभा चुनाव में कुल व्यय का 45 प्रतिशत खर्च करने का अनुमान है।⁴¹ अक्सर यह देखा गया है कि कई नेता जो राजनीतिक क्षेत्र में साफ-सुथरी छवि रखते हैं, वे बाद में अपनी सत्ता की स्थिति को बनाए रखने के लिए अवैध कार्य में उलझ जाते हैं।⁴² जैसे वे स्थानीय संरक्षण तन्त्र (नेटवर्क) के जरिए धन संसाधन जमा करने लगते हैं जिसके उपयोग वे चुनाव के दौरान करते हैं। तन्त्र के भीतर अन्य नेटवर्क सदस्यों से राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने की उनकी शक्ति के बदले में, ये नेटवर्क चुनाव के समय उम्मीदवार के समर्थन का आधार बनाने में सहायता करते हैं क्योंकि इन नेताओं के सम्बन्ध उन गाँवों एवं

कस्बों से जुड़े हैं जो उनके निर्वाचन क्षेत्र को प्रभावित करते हैं।⁴³ दूसरे शब्दों में, अपराधिक छवि वाले नेता स्वदेशी पुत्र या स्पष्ट रूप से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक स्थानीय आधार से पहचाना जाता है और वे अपने क्षेत्र में विशेष प्रकार के कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं।⁴⁴ ये स्थानीय स्तर पर प्रतिष्ठित लोग होते हैं जिन्हें अपने समुदाय, रिश्तेदारी आदि का संरक्षण प्राप्त होता है। भारतीय राजनीति में अपराधीकरण के बारे में जेम्स मैनर ने तर्क दिया है कि राजनीतिक दल अपराधिक छवि वाले नेता की भर्ती इसलिए करती हैं क्योंकि ये अपने साथ धन लाते हैं वरन दल को भी धन उपलब्ध करने में सहायता कर सकते हैं।⁴⁵

प्रायः मतदाता उन राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं जो धन या सेवाओं को उपलब्ध कराने का वादा करते हैं। अक्सर मतदाताओं को लुभाने के लिए साड़ी, थोती, कम्बल, दारू एवं पैसे वितरण करते देखा गया है, जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिबन्धित है। आजादी के सात दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी भारतीय मतदाता राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हुआ है कि वे अपने निर्णयों के परिणामों पर स्वतन्त्र सोच विचार करें और अपने महत्वपूर्ण मुद्दों या माँगों का समाधान हो जाने के बाद ही मूल्यवान मतदान करें। दक्षिण भारत में, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों में, धन-बल चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी राजनीतिक दल चुनाव में धन खर्च करने के लिए चुनावी बाड योजना के माध्यम से धन एकत्रित करते हैं। वर्तमान में सभी दलों से अधिक भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बाण्ड योजना के माध्यम से धन जुटाया है। विपक्षी राजनीतिक दलों ने इसे देश का अबतक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कहा है। सर्वोच्च न्यायलय ने चुनावी बाण्ड योजना को 'अवैध' एवं 'असंवैधानिक' कहा है।

भारतीय राजनीति में मुफ्त उपहार की भूमिका के बारे में काफी चर्चा की जा रही रही है। मुफ्त उपहार, जिसे लोकलुभावन कल्याण कार्यक्रम या चुनावी उपहार भी कहते हैं, का उपयोग अक्सर राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने एवं वोट सुरक्षित करने के लिए विशेष कर सत्ताधारी राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को मुफ्त सामान या सेवाओं के वितरण को सन्दर्भित करता है। इन उपहारों में मुफ्त भोजन एवं कपड़े जैसी बुनियादी जरूरतों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि ऋण माफी एवं रियायती आवास आदि जैसी चीजें सम्मिलित हैं। उदाहरण के तौर पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपना प्रभाव जमाने के लिए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, बस में महिलाओं का मुफ्त यात्रा आदि जिसके फलस्वरूप दिल्ली के मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को पिछले दो विधानसभा चुनावों में भारी बहुमतों से विजयी बनाया। एवं

5-4 अशिक्षा का प्रभाव

शिक्षा किसी देश की मानव पूँजी की गुणवत्ता का सबसे आवश्यक अवयवों में से एक है। भारत में 2011 जनगणना के अनुसार मात्र 74.37 प्रतिशत नागरिक साक्षर हैं।⁴⁶ भारत की वयस्क साक्षरता दर 73.2 प्रतिशत है। हालाँकि देश ने पिछले कुछ वर्षों में साक्षरता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी यह 313 मिलियन निरक्षर लोगों का घर बना हुआ है। उनमें से 59 प्रतिशत महिलाएँ हैं।⁴⁷ किसी भी लोकतान्त्रिक देश में शिक्षा का स्तर व्यक्तियों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। ऐसा माना जाता है कि शिक्षित लोगों द्वारा मतदान के दौरान तार्किकता की अधिक सम्भावना होती है।⁴⁸ शिक्षित नागरिक हमेशा सामाजिक न्याय, समानता एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करने वाली प्रगतिशील नीतियों जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। परन्तु अशिक्षित नागरिक सरकार की नीतियों और विभिन्न प्रकार की जनकल्याणार्थी योजनाओं के बारे में अपनी समझ विकसित नहीं कर पाते हैं और मतदान के समय उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। भारत में आज भी ग्रामीण मतदाता विशेषकर महिला अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं जिसकी वजह से वे मतदान के समय अपने पति या पिता के निर्देश पर निर्भर रहतीं हैं जो कि लोकतन्त्र में स्वतन्त्र मतदान के उद्देश्यों के खिलाफ है। निरक्षर नागरिक ज्वलंत राजनीतिक मुद्दों, सामाजिक-आर्थिक समस्याओं एवं इन समस्याओं के समाधान के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा पारित विभिन्न प्रकार की नीतियों का आकलन, उम्मीदवारों की नेतृत्व क्षमता का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं और वे जाति, धर्म और व्यक्ति पूजा आदि कारकों से प्रभावित होकर अपने मूल्यवान मत का प्रयोग करते हैं, जो की लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए घातक है।

5.5 सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों द्वारा कल्याणकारी योजनाएँ

भारत के बदलते चुनावी परिदृश्य ने देश के कल्याणकारी योजनाओं के भविष्य के बारे में नयी बहस शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकाल के दौरान अनेक विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्य किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप जनता ने उनको शासन करने का अवसर बार-बार दिया स उदाहरण के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी प्रधानमंत्रियों ने नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए कल्याणकारी नीतियों को क्रियान्वित किया है जिसके फलस्वरूप 1952 एवं 1957 के लोकसभा चुनावों में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने संसद के निचले सदन में 70 प्रतिशत से अधिक सीटें हासिल कीं तथा लगभग 45 प्रतिशत और उससे अधिक का वोट प्रतिशत प्राप्त किया।⁴⁹ पंडित नेहरू ने देश में उद्योगीकरण की नींव रखी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। उन्होंने देश में महत्वपूर्ण शोध एवं शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण किया जैसे की अन्तरिक्ष श्रेष्ठता एवं इन्जीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो) तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, सभी जिलों में स्कूलों, चिकित्सालयों, रेल, राजमार्ग, विधुतीकरण, बाँधों एवं डाकघरों आदि का निर्माण किया गया।⁵⁰ इससे सम्प्रभु भारत की यात्रा का मार्ग प्रशस्त हुआ।⁵¹ नेहरू द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं से कांग्रेस पार्टी की साख देश में बढ़ती गई तथा लोक सभा एवं राज्यों के विधानमण्डलों के चुनावों में मतदाताओं ने उनको सत्ता सौंपी। पूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध थीं वे भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में देखना चाहती थीं, उन्होंने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया।⁵² उन्होंने भारतीय समाज से गरीबी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए कई गरीबी-विरोधी कार्यक्रम शुरू किए थे। उन्होंने भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार, ग्रामीण भूमि जोत एवं शहरी सम्पत्ति पर सीमाएँ लागू करने, आय एवं अवसर असमानताओं को खत्म करने तथा शाही विशेषाधिकारों को निरस्त करने पर जोर दिया। यह कार्यक्रम इन्दिरा गांधी को पूरे भारत के लोगों से स्वतन्त्र राष्ट्रीय समर्थन देने के लिए तैयार किए गए थे।⁵³ भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत श्रीमती इन्दिरा गांधी ने की जिसने वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में सहायता की है। इस नीति से लोगों के लिए संस्थागत ऋण तक पहुँच में सुधार किया, जिनके पास पहले इसकी पहुँच नहीं थी।⁵⁴ 1971 में, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पाकिस्तान को युद्ध में हराकर और बांग्लादेश नामक एक नया देश बनाने में सहायता करके दिखाया कि वह कितनी साहसी, बहादुर एवं दृढ़ थीं। उन्होंने 1974 में सफल परमाणु परीक्षण करके भारत को एक मजबूत देश भी बनाया। उनके इन कार्यों के कारण, उन्हें लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों में भारी समर्थन प्राप्त हुआ। 1975 में श्रीमती गांधी ने देश में आपातकाल लागू करने का निर्णय लिया जो लोकतान्त्रिक नियमों के विरुद्ध था जोकि स्वतन्त्र भारत का सबसे विवादास्पद एवं अलोकतान्त्रिक काल था। आपातकाल के दौरान उन्होंने देशवासियों और विशेष कर विपक्षी नेताओं के साथ ज्यादती की, भारतीय प्रेस पर प्रतिबन्ध लगा दिया था उनके इस गैर-लोकतान्त्रिक कदम से राजनीतिक छवि धूमिल हो गई तथा 1977 के लोकसभा चुनाव हार गयीं।

देश में 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी प्रगतिशील गठबंधन के साथ मिलकर डॉ0 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार चला रही थी। इस दौरान देश में वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी का विस्तार एवं ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास में तत्परता देखी गयी।⁵⁵ 2004 से 2014 तक, प्रधानमन्त्री के कुशल नेतृत्व में, भारतीय अर्थव्यवस्था ने महत्वपूर्ण विकास एवं समृद्धि का एक दशक अनुभव किया, जिसे कभी-कभी 'स्वर्णिम दशक' भी कहा जाता है। इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 8.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी।⁵⁶ तत्कालीन सरकार ने सरकारी काम काज में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं अन्य पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान के लिए सरकारी सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। 2006 का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) एक महत्वपूर्ण नीति थी जिसका उद्देश्य वयस्कों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों के रोजगार को सुनिश्चित

करना है।⁵⁷ उनकी विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों एवं कल्याणकारी नीतियों को पसन्द करते हुए मतदाताओं ने 2009 के लोक सभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को समर्थन दिया तथा डॉ० मनमोहन सिंह चुनाव जीत गए ।

2014 के लोकसभा चुनाव में डॉ० मनमोहन सिंह के नेतृत्व में प्रगतिशील गठबंधन की पराजय के उपरान्त, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमन्त्री बने तथा लोकसभा एवं राज्य विधानमण्डलों के चुनाव के दौरान उन्होंने मतदाताओं को लुभाने हेतु अपने भाषणों में राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार, वंशवादी राजनीति एवं अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने के आरोपों का जिक्र करते हुए वे चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न कमियों एवं विफलताओं के साथ-साथ क्षेत्रीय दलों के खराब प्रदर्शन के बारे में उल्लेख करते हैं।⁵⁸ जिसके परिणामस्वरूप मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित करने का काम किया तथा वे चुनाव जीत गए। उन्होंने देश में कई उपयोगी एवं कल्याणकारी कार्यक्रम एवं परियोजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें देश में तेजी से डिजिटलीकरण जिससे सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में सीधे नकद हस्तान्तरण हो रहा है। मोदी सरकार ने कई प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ जैसे उज्ज्वला योजना, जन-धन योजना, शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन, किसान सम्मान-निधि, प्रधानमन्त्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना आदि शुरू की तथा अन्य योजनाओं को नया रूप दिया। इन योजनाओं में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी की प्राथमिक जानकारी को आधार कार्ड के साथ जोड़ा गया।⁵⁹ वर्तमान में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी लगभग 10.35 करोड़ हैं।⁶⁰ आयुष्मान भारत, प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसके लाभार्थी की संख्या लगभग 28.45 करोड़ है तथा लगभग 9.38 करोड़ आयुष्मान कार्ड केवल 2023 में बनाए गए थे।⁶¹ मोदी सरकार की जन-धन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके अन्तर्गत कुल 52.01 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी जनता के खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें अबतक 234357.94 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं।⁶² मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा शौचालय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण वासियों विशेषकर सभी बीपीएल परिवारों एवं चिन्हित एपीएल परिवारों (एससी, एसटी परिवार, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति वाले परिवार, भूमिहीन मजदूर जिनके पास वास है, छोटे एवं सीमान्त किसान एवं महिला मुखिया वाले परिवार) जिनके घरों में शौचालय नहीं है को अपने घर पर शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये दिए जा रहे हैं ताकि शौचालय के लिए उनको बाहर न जाना पड़े।⁶³ देशभर में अबतक कुल 10.9 करोड़ शौचालय का निर्माण हो चुका है। निःसंदेह इन जन-कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को काफी हद तक सहायता मिली।

अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने दो ऐतिहासिक निर्णय लिए। पहला जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने से सम्बन्धित अनुच्छेद 370 को निरस्त किया। दूसरा, लम्बे समय से चले आ रहे राम जन्म-भूमि बाबरी-मस्जिद केस के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, अयोध्या में राम मन्दिर का निर्माण एवं उसमें रामलला को स्थापित करना। इन दोनों ऐतिहासिक निर्णय से हिन्दू वोट भाजपा के पक्ष में केन्द्रित होता प्रतीत हो रहा है। अन्य दलों के समर्थक राष्ट्रीय चुनावों में अपनी जीत को सुनिश्चित करने हेतु श्री मोदी के नेतृत्व को समर्थन देते दिख रहे हैं हालाँकि, राज्यों के चुनावों में हमेशा ऐसा नहीं होता है। चुनावी रणनीति को विकसित करते समय क्षेत्र की धार्मिक संरचना, जाति संरचना एवं उप-जातियों सहित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की विशिष्टताओं पर सावधानीपूर्वक विचार करके पार्टी उम्मीदवारों को चुना जाता है।⁶⁴

5.6 भावनाओं की राजनीति एवं मतदान व्यवहार

भारतीय मतदाताओं का मतदान व्यवहार भावनाओं से काफी प्रभावित होता है जो राजनीतिक बहस को आकार देता है। देखा गया है कि अक्सर भारतीय मतदाता भावनाओं के आधार पर वोट देने का निर्णय करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की राजनीतिक हत्या के बाद, 1984 के लोकसभा चुनाव में उनके पुत्र श्री राजीव गांधी को सहानुभूति का लाभ लेने के लिए कांग्रेस (आई) पार्टी ने चुनाव में उम्मीदवार

बनाया। कांग्रेस (आई) पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सहानुभूति पैदा करने के लिए 'जब तक सूरज चाँद रहेगा, इन्दिरा तेरा नाम रहेगा' का नारा लगाया जिसका भारतीय मतदाताओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप, इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस (आई) पार्टी को कुल 48.12 प्रतिशत मत मिले तथा इसने आजादी के पश्चात पहली बार लोकसभा की 514 में से कुल 404 सीटें जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। श्री राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनें।

पिछले कुछ वर्षों से, भारतीय राजनेता चुनावों में सफलता प्राप्त करने के लिए मतदाताओं की भावनाओं पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। फरवरी 2019 में श्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद संचालित आतंकवादी शिविरों पर हमला किया। इस हमले से मोदी को राष्ट्र के रक्षक एवं ताकतवर नेता के रूप में पेश किया गया।⁶⁵ भारतीय जनता पार्टी एवं उसके नेताओं ने लोकसभा चुनाव प्रचार भाषणों में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का हवाला देकर लगातार श्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व के प्रति जनता की भावनाओं को जगाने की कोशिश की ताकि वे चुनाव में उनके पार्टी के लिए वोट करें। लोकसभा 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कुल 303 सीटें जीतीं। इसी कड़ी में हम पुलवामा में आतंकी हमले को नहीं भूल सकते जिसमें आतंकवादियों ने 40 सी0आर0पी0एफ0 जवानों को मार डाला था। इस घटना के बाद यह चुनावी मुद्दा बनाया गया कि पाकिस्तान से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे का मुकाबला केवल मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। पुलवामा की घटना ने श्री मोदी को चुनाव के दौरान मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की उनकी प्रतिभा को देखते हुए, किसी भी आम नागरिक की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने शोक मनाने में कोई समय नहीं छोड़ा है। उन्होंने चुनावी सफलता को दृष्टिगत रखते हुए जनता की भावनाओं को उद्घृत करने तथा उसे अपने पक्ष में वोटों के रूप में तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।⁶⁶

6. निष्कर्ष

भारत में मतदान व्यवहार की प्रक्रिया बहुत जटिल है, क्योंकि चुनाव के समय मतदाता अनेक प्रकार की राजनीतिक निर्णयों से प्रभावित होते हैं। अक्सर देखा गया है, चुनाव के दौरान राजनीतिक रूप से जागरूक मतदाता विभिन्न समकालीन मुद्दों पर गली, चौक एवं चौराहे आदि जगहों पर चर्चा तो करते हैं परन्तु, मतदान के समय वे जाति, धर्म, सम्प्रदाय, धन, बल एवं सोशल मीडिया आदि कारकों से प्रभावित होकर अपने प्रतिनिधि चुनने का निर्णय लेते हैं, जो कि भारतीय चुनावी लोकतन्त्र की बेहतरी के लिए उचित नहीं है। भारतीय मतदाताओं को जाति, धर्म, सम्प्रदाय आदि से ऊपर उठकर भारतीय लोकतन्त्र को सरकार द्वारा किए गए विकासात्मक प्रचारों को जाच पड़ताल करके निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि भारतीय लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत होंगी। पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर मतदान करने से अयोग्य प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो न केवल लोकतन्त्र को कमजोर करता है बल्कि समाज में भ्रष्टाचार एवं व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति से चुनावों में धन एवं बाहुबली नेताओं को बढ़ावा मिलता है। आजकल सामान्य जनता का भी प्रतिनिधि संस्थाओं पर से विश्वास उठने लगा है। यह समस्या तभी हल होगी जब भारतीय मतदाता पूर्वाग्रहों से प्रभावित न होकर मुद्दों के आधार पर मतदान करना शुरू करेंगे। भारत में अशिक्षित मतदाताओं की संख्या अधिक है, सरकार एवं विभिन्न राजनीतिक दलों को समय-समय पर राजनीतिक शिविर लगाकर जनता को संवैधानिक मूल्यों, लोकतन्त्र की महत्ता, लोकतन्त्र में जनसहभागिता एवं विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक मुद्दों पर संवेदनशीलता विकसित करने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया को नियन्त्रित करने की आवश्यकता है क्योंकि इस पर अक्सर भ्रामक तथा तथ्यविहीन खबरें दिखाई जाती हैं जिससे प्रभावित होकर मतदाता राजनीतिक निर्णय लेते हैं। हालाँकि यह दूसरी तरफ सामान्य लोगों को अपनी बात रखने का अवसर भी प्रदान करता है। आवश्यकता है कि भारतीय मतदाता चुनावों के दौरान या और समय भी राजनीतिक दलों एवं उनके नेताओं के कार्यों, उनके द्वारा क्रियान्वित योजनाओं, कार्यक्रमों का विश्लेषण करे। आजकल अधिकांश जनसंख्या मीडिया के द्वारा नेता या राजनीतिक दलों के प्रति गढ़ी गई छवि से प्रभावित होती है जिससे वह एक

व्यक्ति विशेष के प्रति श्रद्धा भाव रखती है, जिसे त्यागने की आवश्यकता है। क्योंकि यह किसी एक राजनीतिक दल या एक नेता के द्वारा किए गए विकासत्मक कार्यों को अवरुद्ध एवं शिथिल करती है। लोकतन्त्र में जनता जनार्दन प्रभुत्वशाली होता है परन्तु एक नेता एवं एक पार्टी को बार-बार शासन का अवसर देने से नेता तानाशाही एवं अहंकार के गुण से ग्रस्त हो जाता है, वह जनता जनार्दन के भय से मुक्त हो जाता है। परिणामस्वरूप वे जनता की इच्छानुसार काम न करके अपनी या पार्टी के इच्छानुसार कार्य करने लग जाता है जो लोकतान्त्रिक शासन को नहीं बल्कि तानाशाही को बढ़ावा देता है।

सन्दर्भ-सूची

1. Cited in, Malikram, Atul, "Beyond Party Lines: Factors Influencing Youth Voting Behavior in India", *Linkedin*, December 20, 2023. available at <https://www.linkedin.com/pulse/beyond-party-lines-factors-influencing-youth-voting-behavior-t6xof>, retrieved on 2 April, 2024.
2. वही।
3. Bratton, M., Bhavnani, R., & Chen, T. H., "Voting Intentions in Africa: Ethnic, Economic or Partisan?", *Commonwealth & Comparative Politics*, 50 (1), 2012, 27-52.
4. Prysby, C. L., & Scavo, C., *Voting Behavior: The 1992 Election*, Washington, DC : American Political Science Association, 1993.
5. See, Government of India, *The Constitution of India*, New Delhi: Government of India, 1957.
6. कश्यप, सुभाष, *हमारा संविधान और भारत की संवैधानिक विधि*, नई दिल्ली, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 2017, पृ0सं0 257.
7. वही।
8. See, Election Commission of India, "Press Note", February, 2024. available at <https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0iRfXbEB1EVSLT41NNLRjYnJJp1KivrUxbfqkDatmHy12e%2Fzk1vx4ptjpQsKYHA87guoLg6qlmD60BonJdDr9iLVjGJDrObJyQ1wp%2FB4NoHT3vNqtbfbBs5%2FXMi%2BIkeGWxrog6Q%3D%3D>
9. "जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950", 17 दिसम्बर, 2019 को लिया गया।
10. Arend Lijphart, "The Puzzle of Indian Democracy: A Conscious Null Interpretation", *The American Political Science Review*, 90(2), 1996, 261.
11. वही, पृ0सं0 262.
12. See, Kothari, Rajni, *Caste in Indian Politics*, New Delhi: Orient Longman, 1970; and also see, Rudolph, Lloyd and Rudolph Susan, *The Modernity of Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1969.
13. Venkatachalapathy, A. R., "Periyar E. V. Ramasamy", David Ludden (ed.), *Oxford Research Encyclopedia of Asian History*, New York: Oxford University Press, 2020. Available at <https://oxfordre.com/asianhistory/view/10.1093/acrefore/9780190277727.001.0001/acrefore-9780190277727-e-340>, Retrieved 31 March. 2024.
14. Thachil T. & Teitelbaum E., "Ethnic parties and public spending: New theory and evidence from the Indian states", *Comparative Political Studies*, 48(11), 2015, 1389-1420.

15. Bogaards, M., "One Party Dominance", D. Badie, D. Berg-Schlosser, and L. Morlino (eds.), *International Encyclopedia of Political Science*, London: Sage, 2011, 1743-1744.
16. See, Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, *Census of India 2011*, New Delhi: Ministry of Home Affairs, Government of India, 2011.
17. Awasthi, S. S., *Indian Government and Politics*, New, Delhi, Har-Anand Publication, 2004
18. *The Hindu*, 9 November, 2019.
19. Ibid, Note 16.
20. आस्टिन, ग्रेनिविल, *भारतीय संविधान: राष्ट्र की आधारशिला*, नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन, 2017, पृ0सं0.388
21. Mill, J. S., *Considerations on Representative Government*, London: Parker, Son and Bourn, West Strand, 1861.
22. Kjellén, Erland, *Language recognition and voter turnout: Insights from India*, Bachelor's thesis, Uppsala University, 2021. available at <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1623628/FULLTEXT01.pdf>.
23. देखिये, *राजभाषा अधिनियम, 1963*, राज भाषा विभाग, भारत सरकार, उपलब्ध है, <https://rajbhasha.gov.in/hi>, retrieved on 1 April, 2024.
24. Fischer, L. *The life of Mahatma Gandhi*, London: Granada Publishing Ltd., 1982; and also see Alexander, H. G., "Mahatma Gandhi: An estimate", S. Radhakrishnan (ed.), *Mahatma Gandhi - Essays and reflections on his life and work*, Great Britain: Unwin Brothers Limited, 1939, 40-45.
25. Steinberg, Blema. S., "Indira Gandhi: The Leadership between Personality Profile and Leadership Style", *Political Psychology*, 26(5), 2005, 755-789; and also see Steinberg, B. S., *Women in Power: The Personalities and Leadership Styles of Indira Gandhi, Golda Meir, and Margaret Thatcher*, Montreal & Kingston: McGill-Queen's University Press, 2008. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7zwq4>, retrieved on 4 April 2024.
26. Andrio, Drong, "India's role in the Emergence of Bangladesh as an Independent State", 2016, *Vestnik RUDN, International Relations*, 16(4), 2016, 736-744. available at file:///C:/Users/AK/Downloads/15446-15151-1-PB.pdf retrieved on 4 April 2024.
27. Hasan, Abid, "Leadership lessons to be learned from Atal Bihari Vajpayee", *People Matters*, 17 August 2018. Available at <https://www.peoplesmatters.in/article/leadership/leadership-lessons-to-be-learned-from-atal-bihari-vajpayee-19018>, retrieved on 4 April 2024.
28. 1967 तक भारत में लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक-साथ सम्पन्न होते थे। 1967 के चुनावों में हालाँकि कांग्रेस केन्द्र में अपनी सत्ता बचने में सफल रही परन्तु 8 राज्यों: केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में उसे बहुमत प्राप्त नहीं हुआ।
29. Christophe Jaffrelot and Gilles Verniers, "India's 2009 Election: The Resilience of Regionalism and Ethnicity", *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, 3, 23 décembre 2009, Available at URL: <http://samaj.revues.org/index2787>, retrieved on 7 April, 2024.

30. Sharma, Bhuvanesh, Kumar, "Impact of Social Media on Voter's Behaviour-a Descriptive Study of Gwalior, Madhya Pradesh", *International Journal of Research in Computer Science and Management*, 4(1), December 2016, 5-8. Available at https://www.researchgate.net/publication/311717978_Impact_of_Social_Media_on_Voter's_Behaviour-a_Descriptive_Study_of_Gwalior_Madhya_Pradesh, retrieved on 11 April 2024.
31. Dwevidi, Ram Prakash, "The Human Intelligence: Creativity, Communication and Culture in Crises", *Globalculturz: International Journal of Culture & Global Studies*, 4(2), May-Aug 2023. Available https://www.researchgate.net/publication/371279971_The_Human_Intelligence_Creativity_Communication_and_Culture_in_Crises, retrieved on 11 April 2024.
32. McLane, J. R., *Indian Nationalism and the Early Congress*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1977. available at <http://www.jstor.org/stable/j.ctt13x1cv8>, retrieved on 12 April, 2024.
33. Malji, Andrea, "The Rise of Hindu Nationalism and Its Regional and Global Ramifications", *Education About Asia*, 23(1), March 2018, 3-5. Available at <https://www.asianstudies.org/publications/ea/archives/the-rise-of-hindu-nationalism-and-its-regional-and-global-ramifications/> retrieved on 7 April 2024.
34. Ahmad, Amal, "Transfers and the rise of Hindu nationalism in India", NICEP Working Paper: 2024-08, Nottingham Interdisciplinary Centre for Economic and Political Research, School of Economics, University of Nottingham, University Park, Nottingham. available at <https://amalahmad.net/publication/india-elections.pdf> retrieved on 7 April 2024.
35. Varshney, Ashutosh, "India's Watershed Vote: Hindu Nationalism in Power?", *Journal of Democracy*, 25(4), 2014, 34.
36. Ranbir Vohra, *The Making of India*, 3rd ed., Abingdon, England: Routledge, 2013.
37. Jaffrelot, Christophe, "Hindu Nationalism and the (Not So Easy) Art of Being Outraged: The Ram Setu Controversy", *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, 2 | 2008. Available at <https://journals.openedition.org/samaj/1372>, retrieved on 12 April, 2024.
38. Mitra, Subrata, Karls, Ruprecht, "Sub-National Movements, Cultural Flow, the Modern State and the Malleability of Political Space: From Rational Choice to Transcultural Perspective and Back Again", *The Journal of Transcultural Studies*, 2, 2012. Available at <https://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/transcultural/article/view/9155/3490>, retrieved on 12 April, 2024.
39. वहीं।
40. Vaishnav, Milan, "The Market for Criminality: Money, Muscle and Elections in India", *Asian Journal of Social Science*, 45(6), 693-723, January 2017. <https://casi.sas.upenn.edu/sites/default/files/iit/Market%20for%20Criminality%20-%20Aug%202011.pdf>, retrieved on 13 April, 2024.

41. Joy, Shemim, "Rs 60,000 crore spent during LS Polls 2019: Report", *Deccan Herald*, 04 June 2019. Read more at: <https://www.deccanherald.com/india/rs-60000-crore-spent-during-ls-polls-2019-report-737840.html>. available at, retrieved on 13 April, 2024.
42. Jaffrelot, Christophe, "Indian Democracy: The Rule of Law on Trial", *India Review*, 1(1), 2002, 77-120.
43. Witsoe, Jeffrey, *Democracy Against the State: The Politics of Caste Empowerment in Bihar*, Unpublished PhD thesis, Department of Anthropology, Cambridge, United Kingdom: University of Cambridge, 2005.
44. Manor, James, "Changing State, Changing Society in India", *South Asia: Journal of South Asian Studies*, 25(2), 2002, 231-256.
45. See, Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, *Census of India 2011*, New Delhi: Ministry of Home Affairs, Government of India, 2011.
46. Chandra, Tanushree, "Literacy in India: The gender and age dimension", *ORF Online*, Oct 31, 2019. Available at <https://www.orfonline.org/research/literacy-in-india-the-gender-and-age-dimension>, retrieved on 13 April, 2024.
47. Kulchai, Waiphot, Unisa Lerdtomornsakul, and Patipol Homaymyen, "Factors Influencing Voting Decision: A Comprehensive Literature Review", *Soc. Sci.*, 12(9), 2023, 469. Available at <https://www.mdpi.com/2076-0760/12/9/469>, retrieved on 12 April, 2024.
48. Rai, Praveen, "Election Wave, Charisma and Transformative Governance in India", *South Asia Research*, 39(3), 2019, 256.
49. Chaudhary, Ramakant, "Jawaharlal Nehru: Five contributions that made him the architect of modern India", *Financial Express*, November 14, 2022. available at <https://www.financialexpress.com/india-news/jawaharlal-nehru-five-contributions-that-made-him-the-architect-of-modern-india/2811523/> retrieved on 13 April, 2024.
50. वही।
51. यह नारा संयुक्त विपक्षी गठबंधन के दो शब्दों वाले घोषणापत्र—'इन्दिरा हटाओ' के उपयोग के जवाब में विकसित किया गया था।
52. Rath, Nilakantha, "'Garibi Hatao': Can IRDP Do It?", *Economic and Political Weekly*, 20(6), 1985, 238-246
53. Kundu, Tadi, "How India fared under Indira Gandhi", *Mint*, 30 Nov 2016. available at <https://www.livemint.com/Politics/UZVGcQyJMZ3t5ZJLNZRCMO/How-did-India-fare-under-Indira-Gandhi.html>, retrieved on 13 April, 2024.
54. वही।
55. Bagchi, Indrani, "A tale of Two Manmohan Singhs", *South Asia of Current History*, 110(735), April 2011. Available at <https://www.jstor.org/stable/45319019>, retrieved on 14 April, 2024.

56. Tiwari, Brajesh Kumar, "Dr Manmohan Singh: The Architect of India's Economic Reform", *ABP Live English*, 26 Sep 2023. Available at <https://news.abplive.com/blog/dr-manmohan-singh-the-architect-of-india-s-economic-reform-1632067>, retrieved on 15 April, 2024.
57. Gupta, Amitav, "Manmohan Singh is one of the best prime ministers in India's history", *Quartz*, 2013. Available at <https://qz.com/119903/manmohan-singh-is-one-of-the-best-prime-ministers-in-indias-history>, retrieved on 14 April, 2024.
58. Rai, Praveen, *op.cit*, Note 48, 256.
59. Tillin, Louise, (2019): "Do government's welfare schemes influence the patterns of voting?", *Hindustan Times*, Dec 6, 2019. Available at <https://www.hindustantimes.com/analysis/do-government-s-welfare-schemes-influence-the-patterns-of-voting/story-MG7M07QT6AL6zwJziUI91N.html>, retrieved on 15 April, 2024.
60. Ministry of Petroleum & Natural Gas, "Cabinet approves expansion of Ujjwala Yojana 75 lakh additional LPG connections to be released in 3 years It will take total number of PMUY beneficiaries to 10.35 crore", Press Release, 13 SEP 2023. Available at <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1957091>, retrieved on 19 April, 2024
61. "Interim Budget 2024: Govt may double insurance cover under Ayushman Bharat health insurance scheme ahead of LS polls", *Business Today*, Jan 17, 2024. Available at <https://www.businesstoday.in/union-budget/story/interim-budget-2024-govt-may-double-insurance-cover-under-ayushman-bharat-health-insurance-scheme-ahead-of-ls-polls-413739-2024-01-17>, retrieved on 19 April, 2024.
62. Ministry of Finance, Government of India, "Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana", available at [https://pmjdy.gov.in/\(PMJDY\)](https://pmjdy.gov.in/(PMJDY)), retrieved on 19 April, 2024.
63. Ministry of Jal Shakti, "Toilets Constructed under Swachh Bharat Mission", Press Release, 08 FEB, 2024, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2003910>, retrieved on 19 April, 2024.
64. Mishra, Satish, "Understanding the Rise of the Bharatiya Janata Party", *ORF Online*, 2018. available at https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2018/09/ORF_Issue_Brief_258_BJP_N.pdf, retrieved on 19 April, 2024.
65. Suraiya, Jug, "The Balakot air strike has helped PM Modi get his poll mojo back after recent electoral losses", *The Times of India*, 27 February, 2019.
66. Mishra, Satish, "Emerging electoral dynamics after Pulwama tragedy", *Observer Research Foundation*, Mar 05, 2019. Available at <https://www.orfonline.org/expert-speak/emerging-electoral-dynamics-after-pulwama-tragedy-48718>, retrieved on 25 April, 2024. ★